हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(I.S.O. 9001 : 2008 – Certified Organization)

महत्वपूर्ण सूचना

वर्ष 2016–17 के लिए डी0एड0 शिक्षण संस्थाओं की सम्बद्धता बारे।

इस बोर्ड से अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त सभी सम्बन्धित डी0एड0 संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2016–17 के लिए अस्थाई सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र एवं शुल्क प्राप्ति की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं:–

बिना विलम्ब शुल्क	02–11–2016
5000/–रूपये विलम्ब शुल्क सहित	15–11–2016

गत वर्ष की भांति अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क 50000/–रूपये है। सम्बद्धता आवेदन पत्र का प्रोफोर्मा बोर्ड की वैबसाईट **www.bseh.org.in** से डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरकर एन0सी0टी0ई0 से डी0एड0 कोर्स चलाने की मान्यता/अनुमति के आदेशों की प्रति, एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा,गुडगॉव द्वारा प्रवेश करने की अनुमति का प्रमाण एवं नई समिति के पंजीकरण की प्रति जो कि संस्थान के प्राचार्य से प्रमाणित की गई हों तथा स्टाफ स्टैटमैंट सलंग्न करना आवश्यक हैं। सम्बद्धता शुल्क केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कि सचिव,हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के पदनाम से हो, स्वीकार किया जाएगा। एच0डी0एफ0सी0 बैंक में जमा करवाया गया शुल्क मान्य नहीं होगा। आवेदन पत्र एवं शुल्क पंजीकृत डाक के माध्यम से सहायक सचिव (सम्बद्धता), हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पदनाम से या बोर्ड मुख्यालय भिवानी में शुल्क एवं आवेदन पत्र दस्ती तौर पर जमा करवाए जा सकते हैं। निर्धारित शुल्क से कम शुल्क, एवं अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।

नोट:–अभी तक जो डी0एड0 संस्थाएं इस बोर्ड से अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त नहीं हैं और प्रथम बार आवेदन करना चाहती हैं उन्हें उपरोक्त अनुसार आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रलेख एवं 250000/–रूपये (दो लाख पचास हजार रूपये) शुल्क जमा करवाना आवश्यक होगा।

सचिव